न्यायालय:- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा, जिला डूँगरपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी :- श्री मदनलाल बालोटिया आर. जे. एस

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या 670 / 2026 (CIS /2026)

1. संजय [illegible]

2. ....

3. ....

4. ....

उपस्थितः-

1--श्री सहायक लोक अभियोजन प्रथम राज्य की ओर से।

2--श्री [illegible] अधिवक्ता गैरसायलान की ओर से ।

:: आदेश :: दिनाकः- 6 / 6 / 2026

इस न्यायालय के रेगुलर फौजदारी प्र0स0- 793 / 24 में दिनाक 24 / 12 / 2024 को पारित आदेश के अनुसार मुल्जिम / मुल्जिमान के जमानत मुचलके जब्त सरकार किये गये है । धारा 491 बीएनएसएस की कार्यवाही पृथक से खोली जाती है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर मुतफर्रिक फौजदारी होवे ।

ए.पी.पी. उपस्थित । गैरसायलान उपस्थित । विपक्षी / जामीन गैरसायलान की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] उपस्थित । गैरसायलान की ओर से संयुक्त रूप से धारा 491 सी आर पी सी कें नोटिस का जवाब पेश हुआ । गैरसायलान के जवाब के समर्थ में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा । अतः उभयपक्ष की साक्ष्य समाप्त की जाती है ।

बहस उभयपक्ष की सुनी गई । वकील गैरसायलान का तर्क है कि गैरसायलान गरीब व्यक्ति है तथा जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहे है । अतः जमानत मुचलके की जब्ती की राशि की वसुली में नरमी बरती जावें । सहायक लोक अभियोजक ने इन तर्को का विरोध प्रकट किया है । उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया तथा मामलें के तथ्यो, परिस्थितियों तथा गैरसायलान की उपस्थिति को देखते हुए जमानत मुचलके में से कमशः..................की राशि जब्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । एतद्द्वारा आदेश है कि गैरसायलान के जमानत मुचलके में से कमशः..................की राशि जब्त की जाकर शेष राशि माफ की जाती है ।

गैरसायलान की ओर से उनके अधिवक्ता ने जब्त राशि कमशः.................. अक्षरे..................जरिऐ रसीद नं--..................के जमा कराई जो जमा ली जाकर रसीद दी गई । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर की जावे।

(मदनलाल बालोटिया)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सागवाडा